COURSE - 6

①

JANUARY
WEDNESDAY 09

विद्यालय (School)

विद्यालय का अर्थ (Meaning of School)

हिन्दी में स्कूल को 'विद्यालय' के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है, 'विद्या का स्थान' या 'पाठशाला' जिसका अर्थ है 'पाठों का घर'।

'विद्यालय' शब्द के लिए आंग्ल भाषा में 'स्कूल' शब्द का प्रयोग होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'Skhola' या 'Skhole' से हुई है, जिससे तात्पर्य है - 'अवकाश' (Leisure)। प्राचीन यूनान में अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय का नाम से सम्बोधित किया जाता था। अवकाश काल को ही 'आत्म-विकास' समझा जाता था, जिसका अभ्यास 'अवकाश' नाम निश्चित स्थान पर किया जाता था। धीरे-धीरे यही अवकाश स्थल एक निश्चित उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाएँ अर्थात् स्कूल बन गये।

जे. एस. रॉस के शब्दों में, - "स्कूल सभ्य व्यक्ति द्वारा स्थापित संस्थाएँ हैं जिनका उद्देश्य समाज में सु-समायोजित कुशल सदस्यता के लिए नवयुवकों की तैयारी में सहायता करना है।"

जॉन डीवी के अनुसार, - "स्कूल एक विशिष्ट वातावरण है, जहाँ जीवन के गुणों, क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है जिससे बालक का विकास वांछित दिशा में हो।"

फ्रेंकलिन के शब्दों में, - "स्कूल - बुद्धिमता का मन्दिर है

लैंगिकता हेतु समानीकरण में विद्यालय की भूमिका

Suggestions to make Indian Schools

विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने हेतु सुझाव इस प्रकार हैं :-

1) अन्य साधनों का सहयोग :- (Co-operation of other Agencies)

विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावी अभिकरण बनाने हेतु परिवार, समुदाय, राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य बैठाकर अधिकतम सहयोग प्राप्त करना चाहिए। विद्यालय को समय-समय पर अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्ति हेतु आयोजन करने चाहिए।

2) विद्यालयों के जनतंत्रीय स्वरूप पर बल :- (Emphasis on Democratic Nature of Schools)

विद्यालय का स्वरूप जनतंत्रीय विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। उन्हें संस्कृति का संरक्षण, विकास तथा हस्तान्तरण जनतांत्रिक रूप से करना चाहिए जिससे बालक वातावरण के साथ स्थापित कर आवश्यकतानुसार उसमें सुधार भी कर सकें।

3) व्यक्तित्व विकास पर बल (Emphasis on personality Development) :-

विद्यालयों को पाठ्यक्रम के साथ ही साथ बालक के व्यक्तित्व विकास पर बल देना चाहिए। बालक की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सम्भावित शक्तियों को स्वतंत्रतापूर्वक विकसित करना चाहिए।

2019

4) लचीला पाठ्यक्रम (Flexible curriculum) :-
पाठ्यक्रम की रचना करते समय स्थानीय दशाओं, जीवन की आवश्यकताओं तथा बौद्धिक विकास इत्यादि महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए तभी आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम परिवर्तित होने की लचकता भी होनी चाहिए।

5) मनोवैज्ञानिक पूर्ण वातावरण (Psychological Env.) :-
विद्यालयों को उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण का सृजन करना चाहिए। ऐसे वातावरण में ही बालक का समुचित विकास होगा तथा स्व-उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी।

6) प्रगतिशील शिक्षण पद्धतियाँ (Dynamic Methods of Teaching) :- पाठ्यक्रम चाहे जितनी भी सतर्कता से निर्मित किया गया हो, परन्तु यदि शिक्षण पद्धतियाँ प्रगतिशील तथा प्रभावी नहीं होगी तब तक पाठ्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। डाल्टन पद्धति, योजना पद्धति, करके सीखना तथा मॉण्टेसरी पद्धति इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग आवश्यतानुसार करना चाहिए।

7) व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धान्त पर बल :-
प्रत्येक बालक अन्य बालकों से कुछ-ना कुछ विशिष्ट होता है, अतः इन विशिष्टताओं के विकास हेतु बालक को वैयक्तिकता के सिद्धान्त पर बल देना चाहिए।

8) चरित्र निर्माण पर बल (Emphasis on character Bui
भारत में प्राचीन काल से ही चरित्र-निर्माण की शिक्षा अत्यधिक बल दिया जाता है। भारत में वर्तमान में 2019
का पतन हो रहा है इसलिए विद्यालयों को बालकों चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल देना चाहिए।

9) नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता पर बल (Emphasis on moral Education and Spirituality) :- नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के बिना बालक का सम्पूर्ण ज्ञान निरर्थक रह जायेगा। अतः भारतीय विद्यालयों में नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

10) व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था (provision of vocational Education) :- विद्यालयों को बालकों के भौतिक जीवन की उन्नति हेतु व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे वे बड़े होकर अपनी आजीविका की व्यवस्था कर आत्मनिर्भर बन सके।

11) रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं पर बल (Emphasis on Constructive and Creative activities) विद्यालयों में 'क्रिया का सिद्धान्त' पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस हेतु बालकों को विभिन्न क्रियाओं तथा प्रयोगों के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए इसके लिए पाठ्यान्तर क्रियाओं (co-curricular activities) पर बल देना चाहिए।

12) शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था (provision of Teacher Training) :- भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। योग्य तथा प्रशिक्षित व्यक्ति ही विद्यालयी शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठा सकेंगे।

13 SUNDAY

13) सामाजिक जीवन से सम्पर्क (connect with Social life) :- बालक का सामाजिक जीवन से सम्पर्क स्थापित होने पर वह समाज का उत्तरदायी नागरिक बनेगा।

2019

14) सामाजिक मूल्यों पर बल (Emphasis on Social Values) :-
बालक के व्यक्तित्व में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण तथा विकास विद्यालयों को करना चाहिए, जिससे वह सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज की उन्नति में योगदान दे सके।

15) वयस्क शिक्षा की व्यवस्था (Provision of Adult Education) :- विद्यालय को वयस्क शिक्षा का केन्द्र होना चाहिए। इससे भारत की निरक्षरता की समस्या कुछ समय तक हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सम्पर्क में रहने के कारण प्रौढ़ व्यक्ति विद्यालय की प्रगति में रुचि लेने लगेंगे।